भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2457

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर निधियों का न्यायसंगत वितरण

2457. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा किया गया कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय कितना है और इस दौरान कितनी धनराशि अव्ययित रही अथवा 'अव्ययित सीएसआर खाते' में अंतरित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सीएसआर व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसआर व्यय कुछ ही राज्यों में अधिक किया जाता है जबकि कुछ राज्यों को तुलनात्मक रूप से कम धनराशि प्राप्त होती है और यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेष रूप से अल्पसेवित और पिछड़े क्षेत्रों में सीएसआर निधि के अधिक संतुलित और न्यायसंगत क्षेत्रीय वितरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में अव्ययित सीएसआर राशि के संबंध में प्रावधान दिया गया है। किसी चालू परियोजना के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अप्रयुक्त राशि को कंपनी के एक विशेष खाते अर्थात् 'अव्ययित सीएसआर खाता' में अंतरित करना अपेक्षित है तथा ऐसे अंतरण की तारीख से आगामी तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में उसका व्यय करना अपेक्षित है। तीन वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात, यदि कोई राशि अप्रयुक्त रहती है, तो उसे तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। चालू परियोजना से भिन्न किसी परियोजना के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर अप्रयुक्त सीएसआर राशि को अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निधि में अंतरित करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा किए गए वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनियों द्वारा राज्य-वार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है। कंपनियों के अप्रयुक्त सीएसआर खाते संबंधी आँकड़ों को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

जारी....2/

(ग) एवं (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएसआर एक बोर्ड-संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका कार्यान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक में उपबंध है कि कंपनी उस स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को, जहाँ वह कार्य करती है, प्राथमिकता देगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्र पर बल प्रकृति में केवल निदेशात्मक है, अनिवार्य नहीं और कंपनियों को स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकता तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। सरकार कंपनियों के लिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अथवा किसी विशेष गतिविधि के लिए व्यय करना अनिवार्य नहीं करती है।

अनुलग्नक

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2457 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.53	3.03	15.13
2.	आंध्र प्रदेश	987.33	1,175.88	1,383.52
3.	अरुणाचल प्रदेश	13.36	39.82	40.06
4.	असम	475.11	495.60	607.04
5.	बिहार	247.93	261.62	456.12
6.	चंडीगढ़	18.51	114.39	146.19
7.	छत्तीसगढ	610.16	435.62	551.88
8.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	23.22	30.28	35.92
9.	दिल्ली	1,518.29	2,004.31	2,752.75
10.	गोवा	60.91	86.43	106.01
11.	गुजरात	2,066.67	2,780.14	4,549.10
12.	हरियाणा	780.35	850.01	1,385.61
13.	हिमाचल प्रदेश	141.40	158.25	225.34
14.	जम्मू और कश्मीर	72.19	104.11	224.29
15.	झारखंड	400.92	417.40	842.38
16.	कर्नाटक	2,061.40	2,328.53	3,395.43
17.	केरल	363.34	399.47	616.57
18.	लद्दाख	11.72	30.48	25.58
19.	लक्षद्वीप	0.02	0.36	0.57
20.	मध्य प्रदेश	669.11	612.99	1,195.34
21.	महाराष्ट्र	5,723.29	6,283.97	8,630.80
22.	मणिपुर	53.69	84.47	33.73
23.	मेघालय	23.04	34.66	62.07
24.	मिजोरम	11.01	4.48	14.97
25.	नगालैंड	13.57	15.41	26.79
26.	ओडिशा	998.07	1,404.24	1,574.98
27.	पुदुचेरी	14.62	34.53	27.96
28.	पंजाब	263.55	368.15	578.49
29.	राजस्थान	1,123.16	1,176.73	1,620.16
30.	सिक्किम	36.18	41.87	54.55
31.	तमिलनाडु	1,641.23	2,055.31	2,738.49
32.	तेलंगाना	1,042.02	1,103.33	1,445.78
33.	त्रिपुरा	19.26	9.45	15.89
34.	उत्तर प्रदेश	1,213.76	1,590.66	2,212.68
35.	उत्तराखंड	307.76	366.02	519.98
36.	पश्चिम बंगाल	783.45	877.09	1,075.33
37.	संपूर्ण भारत*	6,233.04	7,066.44	662.74
38.	अन्य केंद्रीकृत निधियाँ	1,148.00	1,071.38	943.48
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	10.12	1.06	0.29
	कुल	31,183.28	35,917.98	40,794.00

(31 मार्च, 2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम नहीं बताए या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र, जहां प्रोजेक्ट्स किए गए थे, के नाम बताएं।
